Starred Assembly Question No. 4 (14/15/283)

Improper Survey for Parivar Pehchan Patra

***4 Sh. Kuldeep Vats (Badli):**

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that the lakhs of families have been deprived of BPL ration card, Ayushman card and Pension etc Government schemes due to conducting improper survey for Parivar Pehchan Patra not only in Badli Assembly Constituency but also in the whole State

b) If so, the name of the agency by whom the survey was got conducted in which the eligible families were deprived of the said schemes as mentioned part 'a' above;

c) Whether the survey on ground level has been conducted in proper manner by the said agency or not; and

d) Whether the Government took any cognizance in this regard; if so, the detail thereof?

Answer:- Sh. Manohar Lal, Hon'ble Chief Minister, Haryana

a) No sir. Under the criteria adopted by Government, yellow ration cards were given to families with annual income upto Rs 1.8 lakhs. On verification of self-declared data provided by families at the time of registration in Parivar Pehchan Patra, yellow ration cards were discontinued for 9,60,235 families in December 2022.

The verification of self-declared income in PPP database is done by the following methods:

(a) through an online system with Central Board of Direct Taxes (CBDT) based on the Income Tax Return (ITR) of the last three years;

(b) through an online system with Human Resources Management System (HRMS) of data of employees of Government of Haryana, its Boards and Corporations;

(c) through an online system with data of retired Government pensioners receiving pension or honorarium from Government for service in Government;

(d) through an online system with data of contractual employees working with the State Government, its Boards and Corporations;

(e) through an online system with data of wages paid to industrial labour in the private sector in respect of whom a cess is payable under the Punjab Cess Act, as provided by Haryana Labour Welfare Board;

(f) through an online system based on payments made to farmers for procurement of agricultural produce on e-kharid;

(g) through an online system based on annual electricity consumption as obtained from the electricity utilities and estimating income thereon;

(h) through verification of income by Local Committees consisting of five members consisting of Team Lead who is a Government employee, a local computer operator, a local volunteer, a social worker and a student. Each of the members independently make an assessment of the income and the final verified income is based on logic-based artificial intelligence.

Families can contest the income verification undertaken in PPP through the designated online mechanisms, namely ‘Correction’ and ‘Grievance’ portal including challenges to exclusions. Every exclusion challenge is electronically and automatically pushed to appropriate quarters for online verification. Requests challenging income assessed by Local Committee are pushed to higher level committees called Sector Committees with a similar composition.

Old Age Samman and other pension allowances have been withheld for 21,034 citizens only based on verified data in PPP, from May 2022 onwards.

There is no case where a family earlier had an Ayushman Bharat card and has now been deprived of the benefits of Ayushman Bharat. 4.43 lakh families have been identified for deletion based on verification of income in PPP but deletion of such families will be done only after approval by the National Health Authority.

b) No agency was engaged for conducting any field survey.

c) Does not arise in view of response to part (b).

d) Does not arise in view of response to part (b).

विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 4 (14/15/283)

परिवार पहचान पत्र के लिए अनुचित सर्वेक्षण

***4 श्री कुलदीप वत्स (बादली):**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः

(क) क्या यह तथ्य है कि न केवल बादली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में अपितु पूरे राज्य में भी परिवार पहचान पत्र के लिए अनुचित सर्वेक्षण करवाने के कारण लाखों परिवार बी.पी.एल. राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा पेंशन आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए।

(ख) यदि हां, तो उस ऐजेंसी का नाम क्या है जिसके द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था जिसमें उपरोक्त भाग 'क' में वर्णित उक्त योजनाओं से पात्रध्योग्य परिवार वंचित हो गए।

(ग) क्या उक्त ऐजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण उचित ढंग से किया गया है अथवा नहीं, तथा

(घ) क्या इस संबंध सरकार ने कोई संज्ञान लिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तरः - श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा

क) नहीं श्री मान जी। सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, 1.8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को पीले राशन कार्ड दिए गए। पंजीकरण के समय परिवार पहचान पत्र में परिवारों द्वारा प्रदान किए गए स्व-घोषित डेटा का सत्यापन करके, दिसंबर 2022 में 9,60,235 परिवारों के पीले राशन कार्ड बंद कर दिए गए थे।

पीपीपी डेटाबेस में स्व-घोषित आय का सत्यापन निम्नलिखित तरीकों से किया गया हैः

(क) पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ख) हरियाणा सरकार, उसके बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों का डेटा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) से एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ग) सरकार में सेवा के लिए सरकार से पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनरों का डेटा एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(घ) राज्य सरकार, उसके बोर्डों और निगमों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों का डेटा एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ङ) निजी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी के आंकड़ों का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, जिसके संबंध में पंजाब उपकर अधिनियम के तहत एक उपकर देय है, जैसा कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है,

(च) ई-खरीद पर कृषि उपज की खरीद के लिए किसानों को किए गए भुगतान का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(छ) बिजली निगमों से प्राप्त वार्षिक बिजली खपत और उस आधार पर आय का अनुमान लगाने का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ज) सरकारी कर्मचारी, एक स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर, एक स्थानीय स्वयंसेवक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक छात्र की टीम से मिलकर बने पांच सदस्यों वाली स्थानीय समितियों द्वारा आय सत्यापन के माध्यम से प्रत्येक सदस्य ने स्वतंत्र रूप से आय का आकलन किया है और अंतिम सत्यापित आय तर्क-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) पर आधारित होती है।

पीपीपी में दी गई आय के सत्यापन को और exclusion को परिवार नामित ऑनलाइन तंत्र, नामतः 'सुधार' और 'शिकायत' पोर्टल के माध्यम से चुनौती दे सकते हैं। प्रत्येक exclusion की चुनौती इलेक्ट्रॉनिक रूप से और स्वचालित रूप से ऑनलाइन सत्यापन के लिए उपयुक्त स्थान पर भेज दी जाती है। स्थानीय समिति द्वारा निर्धारित आय को चुनौती देने वाले अनुरोधों को समान संरचना वाली उच्च स्तरीय समितियों, जिन्हें सेक्टर समितियाँ कहा जाता है, को भेजा जाता है।

मई 2022 से पीपीपी में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर केवल 21,034 नागरिकों का वृद्धावस्था सम्मान एवं अन्य पेंशन संबंधित भत्ता रोका गया है।

ऐसा कोई मामला नहीं है जहां किसी परिवार के पास पहले आयुष्मान भारत कार्ड था और अब वह आयुष्मान भारत के लाभों से वंचित रह गया हो। पीपीपी में आय के सत्यापन के आधार पर निरस्तीकरण के लिए 4.43 लाख परिवारों की पहचान की गई है लेकिन ऐसे परिवारों का निरस्तीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

ख) कोई क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए किसी एजेंसी को नियुक्त नहीं किया गया था।

ग) भाग (ख) के दृष्टिगत प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है।

घ) भाग (ख) के दृष्टिगत प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है।